भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 342
02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती को बढ़ावा देना

342. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या पहलें की गई हैं;
(ख) देश के विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली में जैविक खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में जैविक खेती को अपनाने वाले किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की धनराशि कितनी है;
(घ) सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के लिए अपनाई जाने वाली प्रमाणन प्रक्रिया क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के लिए बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्य जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएँ जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक, संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर ज़ोर देती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना और एक आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। दोनों योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख): वर्ष 2015-16 से (दिनांक 31.10.2025 तक) पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत क्लस्टरों की संख्या, कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों तथा एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना का जिला-वार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): पीकेवीवाई के अंतर्गत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को ऑन फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि हेतु 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के अंतर्गत किसानों को ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैविक आदानों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार है:

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नाम	वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत जारी राशि (दिनांक 31.10.2025 तक) (रुपये लाख में)
महाराष्ट्र	15704.51
मध्य प्रदेश	15919.63
दादरा और नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेश	1000.00

(घ): सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के माध्यम से भारतीय भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) नामक जैविक प्रमाणन कार्यक्रम और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को कार्यान्वित कर रही है।

(ड.): जैविक उत्पादों के बाज़ार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य अपने क्षेत्र में या अन्य राज्यों के प्रमुख बाज़ारों में सेमिनार, कार्यशालाएँ, क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनियाँ और जैविक उत्सव आयोजित करते हैं। जैविक उत्पादों का व्यापार करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बाज़ार संपर्क पर भी सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत 479 एफपीओ का गठन किया गया है जो जैविक उत्पादों के विपणन में शामिल हैं।

अनुबंध-1

वर्ष 2015-16 से तक पीकेवीवाई योजना के तहत क्लस्टरों की संख्या, कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 31.10.2025 तक)

राज्य का नाम		कलस्टर्स	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किसान
1	आंध्र प्रदेश	5,415	3,60,805.39	7,46,976
2	बिहार	1,576	31,783.30	43,208
3	छत्तीसगढ़	2,825	1,01,279.29	60,294
4	गुजरात	759	15,334.41	17,836
5	गोवा	500	10,000.00	12,685
6	हरियाणा	-	-	-
7	झारखंड	1,101	25,300.00	32,714
8	कर्नाटक	2,045	49,100.00	67,598
9	केरल	706	94,480.00	3,10,841
10	**मध्य प्रदेश**	**6,037**	**1,18,310.00**	**1,62,590**
11	**महाराष्ट्र**	**2,978**	**66,756.00**	**87,350**
12	ओडिशा	1,434	52,200.00	71,994
13	पंजाब	483	9,657.00	9,334
14	राजस्थान	10,057	2,01,140.00	2,86,230
15	तमिलनाडु	1147	32,940.00	37,886
16	तेलंगाना	405	8,100.00	18,405
17	उत्तर प्रदेश	8,539	1,71,184.80	2,73,672
18	पश्चिम बंगाल	1,170	27,400.00	58,961
19	असम	220	4,400.00	9,740
20	अरुणाचल प्रदेश	19	380.00	380
21	मिजोरम	39	780.00	2,054
22	मणिपुर	30	600.00	761
23	नागालैंड	24	480.00	152
24	सिक्किम	150	63,000.00	7500
25	त्रिपुरा	50	1000.00	2267
26	मेघालय	45	900.00	2,275
27	हिमाचल प्रदेश	330	18,747.87	44,932
28	जम्मू एवं कश्मीर	258	5160.00	12,900
29	उत्तराखंड	9537	1,90,740.00	4,26,109
30	अंडमान और निकोबार	-	14,491.00	3,590
31	दमन और दीव	26	642.18	1,325
32	**दादर एवं नागर**	**-**	**-**	**-**
33	लक्षदीप	-	2,700.00	8,126
34	लद्दाख	250	10,480.00	14,070
	कुल	**58,155**	**16,90,271**	**28,34,755**

वर्ष 2015-16 से एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 31.10.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	किसानों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	28,000	19,099
2	असम	26,635	24,681
3	मणिपुर	43,000	43,000
4	मेघालय	19,402	19,274
5	मिजोरम	26,500	27,604
6	नागालैंड	30,558	31,128
7	सिक्किम	35,323	78,329
8	त्रिपुरा	26,660	26,874
	कुल	**2,36,078**	**2,69,989**
	सकल योग	**19,26,349**	**31,04,744**

*****